निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1936 (श0)

(सं0 पटना 1034) पटना, बुधवार, 17 दिसम्बर 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्
विद्यापति मार्ग, पटना – 800001

अधिसूचना
18 सितम्बर 2014

सं0 836—**श्री सर्वमंगला देवी न्यास गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना** पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 351 है।

स्व0 किशोरी लाल चौधरी ने स्टेशन रोड, गुलजारबाग में सर्वमंगला देवी मंदिर का निर्माण कर देवी की प्रतिमा स्थापित की तथा मंदिर परिसर के अलावा धर्मशाला, तालाब आदि का निर्माण कराया। साथ ही बिहार शरीफ के बाजितपुर खैरी तथा जगदीशपुर क्यारी ग्राम में स्थित संपत्ति भी न्यास को अर्पित की। उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 18/06/1927 को एक इच्छापत्र द्वारा सर्वमंगला के नाम उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति दान कर दी, तथा यह भी इच्छा व्यक्त की कि इस संपत्ति का विक्रय, बंधक अथवा लीज नहीं किया जा सकता है। यह इच्छापत्र माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा दिनांक 18/12/1930 को प्रोबेट हुआ।

दिनांक 15/08/1951 को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास कानून प्रख्यापित हुआ, तथा तत्कालीन न्यासियों द्वारा अधिनियम की धारा–59 एवं 60 के तहत विवरण, बजट प्रस्तुत कर इस न्यास के सार्वजनिक स्वरूप को स्वीकारते हुए अधिनियम की धारा–34 के तहत सर्वमंगला देवी न्यास का पर्षद में निबंधन कराया गया, जिसकी निबंधन सं0– 351 है। यह न्यास व्यवहार न्यायालय द्वारा भी सार्वजनिक न्यास घोषित किया गया है।

इस न्यास के सुचारू प्रबंधन तथा विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–1705, दिनांक 06/02/2008 द्वारा अधिनियम की धारा–32 के तहत एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्षों का था। अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 26 मार्च, 2008 को हुआ था, इस प्रकार न्यास समिति के कार्यकाल का अवसान दिनांक 25 मार्च, 2013 को हो गया।

चूंकि न्यास में रिक्तता नहीं रखी जा सकती, अतः पर्षदीय पत्रांक–1515, दिनांक 27/11/2013 द्वारा नई समिति के गठन की अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी को सर्वमंगला देवी मंदिर न्यास, गुलजारबाग का बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–33 के तहत अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी अति व्यस्त पदाधिकारी हैं। अतः उन्होंने पत्रांक–514, दिनांक 12/09/2014 द्वारा अपनी अध्यक्षता में पांच सदस्यों का नाम एक न्यास समिति के गठन हेतु प्रस्तावित किया है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 के अन्तर्गत में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री सर्वमंगला**

देवी न्यास, पटना सिटी, पटना के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री सर्वमंगला देवी न्यास योजना,** पटना सिटी, पटना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री सर्वमंगला देवी न्यास समिति,** पटना सिटी, पटना'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ, राग–भोग एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय–व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है।

(1) अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी, जिला– पटना	–	पदेन अध्यक्ष
(2) श्री अजय कुमार गुप्ता अंजनी मेडिकल हॉल, अगमकुआं, पटना– 7.	–	सचिव
(3) श्री अरविन्द कुमार पता– तुलसी मंडी, गुलजारबाग, पटना– 7.	–	
(4) श्री पंचम कुमार पता– तुलसी मंडी, गुलजारबाग, पटना– 7.	–	
(5) श्री पंकज कुमार पता– स्टेशन रोड, गुलजारबाग, पटना– 7.	–	

इस न्यास के संबंध में न्यायालय का कोई नया निर्णय आता है, इसके बाद पर्षद विस्तृत योजना के निरूपण तथा न्यास समिति के विस्तार पर निर्णय लेगी।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1034-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in